

तीन बार जुर्माना लगने वाले अधिकारियों को सेवा मुक्त करने की आयोग करेगा सिफारिश

माइं सिटी रिपोर्टर

अंबाला। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने मंगलवार को छावनी के एसडी कॉलेज में हरियाणा सेवा का अधिकारी विषय पर अधिकारियों को बैठक ली। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन बार किसी पर जुर्माना लगा तो आयोग उसकी सेवाएं समाप्त करने की सरकार से सिफारिश कर देगा जिसे केवल हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की गई थी। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में बतौर मुख्य आयुक्त कमान संभाली है। पाया कि सात साल में केवल 7 शिकायतें ही आयोग के पास आईं। क्योंकि लोग नीचे ही शिकायत देकर बच चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि

अब ऊपर भी क्या सुनवाई होगी। इसीलिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से संबंधित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जिनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है।

गुप्ता ने बताया कि अब किसी भी व्यक्ति को आयोग में अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्धारित अवधि में यदि काम नहीं हुआ या व्यक्ति को जवाब नहीं मिला तो पोर्टल खुद फाइल को उच्चाधिकारी के पास प्रेषित कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग प्राथी की शिकायत का समयबद्ध तरीके से निवारण न होने पर नियमों के तहत 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही प्राथी को 5 हजार रुपये की राशि भी आयोग दिलावा सकता है।



अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज में हरियाणा सेवा का अधिकार बैठक में मौजूद अधिकारी व जनप्रतिनिधि। (संबंधित तस्वीर पेंस वी वर) मंगल

अधिकारियों के छूट पसीने, जवाब तक नहीं दे सके

इस दौरान अग्रणी तैयारियों के साथ खुद अधिकारियों को उन्हें खुद सुनना इसमें अधिकारियों के पसंदीने छूट गए। टीसी गुप्ता ने कहा कि आपको भी नहीं पता था कि आज की बैठक में क्या होगा? सभी स्टेज खों होंगे साथ पीकर लेक्चर सुनकर जाने जाएंगे। इस दौरान बिजली निगम के एसई विनय बरनवाल से उन्होंने सवाल पूछा कि बिजली खोरी के केस में उतरें गए मीटर की कितने दिनों में लेब से जांच करवाते हैं? इस पर एसई ने कहा कि 1-2 दिनों में। यह सुनते ही गुप्ता झेले एसई साहब यदि आप 1-2 दिनों में यह काम करवा देंगे तो आपके में प्रारंभ पत्र एंश? स्टेज सम्झकर बात करें और अपने कार्यालयी सुधार लें। इस दौरान आयोग की सचिव मीनकेश राज भी उनके साथ मौजूद रहीं।

कितनी देर में ठीक हो जाते हैं फ्यूज, एसई बोले एक घंटे में...

इस दौरान मुख्य आयुक्त ने बिजली निगम की कार्यशैली पर सर्वांगीण निशान खड़े किए। पूछा कि एसई साहब बिजली निगम जिले में बिजली जाने पर साधारण फ्यूज कितनी देर में लगा देता है? इसके लिए चार घंटे का समय है। इस पर एसई वीके बरनवाल ने कहा कि चार घंटे में कर ही देते हैं। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का औसतन रेट 1 घंटा 20 मिनट है आप सोचकर बताएं? एसई ने कहा 45 से 1 घंटे के बीच। यह सुनकर उन्होंने सभा में बैठे लोगों से जवाब मांगा? अंबाला शहर कपड़ा मार्केट से मोहन गौयल ने बताया कि हर रविवार को इधर घंटे कट लगता है। कोई नहीं सुनता।

जिले ही नहीं प्रदेश में भी अंबाला बिजली निगम का रिकॉर्ड खराब

90 दिनों में बिजली निगम के पास 54 हजार 162 नए कनेक्शन के आवेदन आए। इनमें से 34.50 को अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया। 1794 लोगों ने संतुष्टि के लिए 3 नंबर की दिए। इसी तरह लोड घटाने के लिए 3770 आवेदन आए इनमें से भी करीब 28.60 प्रतिशत रिजेक्ट कर दिए गए। इसमें भी संतुष्टि के लिए 93 लोगों ने औसतन 3 नंबर दिए। बिल संबंधित शिकायतों में भी 862 लोगों ने एक नंबर दिया। इस पर गुप्ता ने कहा कि आपके विभाग से कोई भी संतुष्ट नहीं है। आपकी एवरेज संतुष्टि रेट 3.1 है जोकि जिले में सभी विभागों में ही नहीं पूरे हरियाणा में सबसे खराब है।